



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

17 चैत्र 1932 (श0)  
(सं0 पटना 243) पटना, बुधवार, 7 अप्रील 2010

---

बिहार विधान-सभा सचिवालय

-----  
अधिसूचना

30 मार्च 2010

सं0 वि०स०वि०-20/2010-1178/वि०स०।—“बिहार मत्स्य जलकर प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2010” जो बिहार विधान-सभा में दिनांक 30 मार्च, 2010 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।

सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा,

सचिव,

बिहार विधान-सभा।

[वि०स०वि०-20/2010]

बिहार मत्स्य जलकर प्रबंधन अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2010

बिहार मत्स्य जलकर प्रबंधन अधिनियम 13, 2006 का संशोधन हेतु विधेयक

प्रस्तावना:— चूँकि बिहार राज्य में मत्स्य विकास की अपार संभावना है,  
और, चूँकि, राज्य सरकार द्वारा परम्परागत मछुआरों को प्रशिक्षित करते हुए और तकनीकी सहायता देते हुए मत्स्य उत्पादन में वृद्धि हेतु कई कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं,

और, चूँकि, राज्य सरकार की यह नीति है कि जलकरों की बंदोबस्ती परम्परागत मछुआरों की मत्स्यजीवी सहयोग समिति के साथ किया जाए ताकि बेहतर प्रबंधन से मत्स्य उत्पादन में वृद्धि हो जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में भी सहायक हो,

और, चूँकि, यह आवश्यक माना गया है कि प्रखंडस्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समितियों की संख्या में वृद्धि होने के कारण मछुआरों के बीच विवाद बढ़े हैं जिससे मत्स्य उत्पादकता एवं मत्स्य उत्पादन कुप्रभावित हुई हैं ,

भारत गणराज्य के इक्सटर्वे वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ । — (i) यह अधिनियम बिहार मत्स्य जलकर प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2010 कहा जा सकेगा ।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

(iii) यह उस तिथि से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत की जाय एवं विभिन्न प्रावधानों के प्रवृत्त होने की विभिन्न तिथियाँ नियत की जा सकेंगी ।

2. बिहार अधिनियम, 13, 2006 की धारा — 2 में संशोधन । — धारा—2 की उप—धारा (ix) में प्रयुक्त शब्द और अंक “एवं स्वावलंबी सहकारी समिति अधिनियम, 1996” विलोपित किये जाएँगे ।

3. बिहार अधिनियम, 13, 2006 की धारा— 5 में संशोधन । — धारा— 5 की उप—धारा (1) में “पॉच” शब्द को “सात” शब्द से प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

4. बिहार अधिनियम, 13, 2006 की धारा— 14 में संशोधन ।— निम्नलिखित संशोधन बिहार जलकर प्रबंधन अधिनियम, 13, 2006 की धारा— 14 में किए जाएँगे:—

(i) धारा—14 की उप—धारा (i) में “निदेशक, मत्स्य” शब्दों को “प्रमण्डलीय आयुक्त” शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

(ii) धारा— 14 की उप—धारा (iii) में शब्द “अल्पकालीन बन्दोबस्ती के लिए” के बाद शब्द “प्रमण्डलीय आयुक्त एवं” जोड़े जायेंगे ।

उद्देश्य एवं हेतु

राज्य के जलकरों की बंदोवस्ती, मछुआ समुदाय के माध्यम से, मत्स्य उत्पादन और उत्पादकता को वैज्ञानिक ढंग से बढ़ाकर अधिक से अधिक रोजगार का साधन उपलब्ध कराना है। अधिनियमित बिहार मत्स्य जलकर प्रबंधन अधिनियम, 13, 2006 में उत्पन्न विसंगतियाँ एवं कठिनाईयों को दूर करने एवं अन्य प्रावधानों को स्पष्ट करना ही इस विधेयक का उद्देश्य है। जिसे अधिनियमित कराना ही इस विधेयक का मुख्य अभिष्ट है।

(रामनारायण मंडल)

भार साधक सदस्य

पटना:

दिनांक 30 मार्च, 2010

सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा,

सचिव,

बिहार विधान-सभा।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 243-571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>